भारत सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग **730 C** और **731K** के बेवर से पीलीभीत भाग का सुधार एवं उन्नयन कार्य के लिए

पुनर्वास कार्य योजना

का

कार्यकारी सारांश

0.1 पृष्ठभूमि

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H) को उत्तर प्रदेश राज्य में सैद्धांतिक रूप से घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और उन्नयन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श सेवाओं का कार्यभार सौंपा गया है।

मै0 चैतन्य प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी प्रा0 लि0, सह एग्रिसियो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को MoRT&H पत्र संख्या RO/LKO/DPR/I.P.NH/2016-17 दिनांक 3 जनवरी 2017 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में सैद्धांतिक रूप से घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और उन्नयन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं परामर्श सेवा हेतु इंजीनियरिग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) आधार पर तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

सड़क परियोजना बेवर (जिला–मैनपुरी) में बस स्टैंड के पास एनएच–92 के साथ टी–जंक्शन से शुरू होती है और मदनपुर, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद, जलालाबाद, मीरानपुर कटरा, खुदागंज, बीसलपुर से गुजरती है और पीलीभीत (एनएच 730 के साथ जंक्शन) पर समाप्त होती है। यह परियोजना बेवर से फर्रुखाबाद, जलालाबाद, मीरानपुर कटरा, खुदागंज, रढ़ैता होते हुए बीसलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730C के रूप में और बीसलपुर से बरखरा होते हुए पीलीभीत तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731K के रूप में नामित किया गया है। परियोजना सड़क की कुल लंबाई 183.380 किमी है।

0.2 परियोजना उद्देश्य

इस परियोजना की परिकल्पना राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-730C और NH-731K) गलियारे में यातायात के सुरक्षित और कुशल आवागमन की क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है, जहाँ यातायात की गहनता में काफी वृद्धि हुई है। इन चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, कम परिवहन लागत पर एवं कम रुकावट के साथ और कम समय में तेज और सुचारू परिवहन की सुविधा होगी, मौजूदा विकास केंद्रों के आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा, नए विकास केंद्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा, रोजगार सृजन और परिणामतः परियोजना क्षेत्रों में गरीबी को समाप्त करेगा।

0.3 दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

सामाजिक प्रभावों के आकलन और उचित शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए अंतर्निहित दृष्टिकोण, स्थानीय भागीदारी के सिद्धांतों और कमजोर समूहों सहित हितधारकों के साथ परामर्श पर आधारित है। परामर्शी प्रक्रियाओं और तकनीकों की एक श्रृंखला के माध्यम से हितधारकों, विशेष रूप से परियोजना लाभार्थियों और संभावित प्रभावित व्यक्तियों को शामिल करके एक भागीदारी दृष्टिकोण के साथ एसआईए (SIA) अध्ययन किया गया है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आँकडें एकत्र करके प्रभावों का आकलन किया गया है।

0.4 पुनर्वास कार्य योजना (RAP) के उद्देश्य

RAP यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि प्रभावित व्यक्ति हैं: (i) पुनर्वास से संबंधित उनके विकल्पों और अधिकारों के बारे में सूचित, (ii) परियोजना के कारण संपत्ति के नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर त्वरित और प्रभावी मुआवजा प्रदान किया, (iii) पुनर्वास के दौरान और संक्रमण अवधि के लिए उनकी आजीविका और जीवन स्तर को

बहाल करने के लिए सहायता (जैसे स्थानांतरण भत्ता, संक्रमण भत्ता आदि) प्रदान की और (iv) मुआवजे के अलावा कौशल विकास सहायता जैसे प्रशिक्षण प्रदान किया।

आरएपी (RAP) के उद्देश्य हैं: -

- प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करना और शमन उपायों का निर्धारण करना।
- पुनर्वास के बाद की अवधि में प्रभावित व्यक्तियों हेतु मुआवजे के भुगतान और आजीविका बहाल करने और जीवन स्तर में सुधार या वैसा ही बनाए रखने के लिए पालता और कार्य योजना प्रस्तुत करना।

0.5 परियोजना प्रभाव

परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा, प्रभावित होने वाली भूमि, संरचनाओं और अन्य संपत्तियों के लिए आयोजतित गणना एवं सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है। गणना सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 1166 निजी संरचनाओं सहित 1242 संरचनाएँ, जिनमें 1592 संरचनाएँ अतिक्रमणकारी हैं और वे सरकारी भूमि पर हैं और 76 CPR (33 सरकारी, 43 धार्मिक और 0 सामुदायिक संपत्तियाँ परियोजना में प्रभावित होंगी। कुल (162 कमजोर परिवार) 129 ग्रामीण कारीगर और 33) प्रभावित हो रहे हैं।

प्रभावित होने वाले 1166 निजी संरचनाओं में से 996 टाइटलधारकों के हैं और 170 गैर–टाइटल धारकों के हैं। सभी गैर– टाइटल धारकों के पास अस्थायी प्रकार की संरचनाएं हैं, 1166 संरचनाओं में से, 106 आवासीय, 1006 वाणिज्यिक और 54 आवासीय सह वाणिज्यिक हैं। परियोजना प्रभावित आबादी (PAP) की संख्या 8162 है जिसमें पुरुष 55% और 45% महिलाएं शामिल हैं।

प्रस्तावित परियोजना के लिए 78 भूखंडों पर 9.8058 हेक्टेयर का निजी भूमि अधिग्रहण होगा जिसमें 9.2706 हेक्टेयर कृषि भूमि, 0.1112 हेक्टेयर बंजर, 0.00 हेक्टेयर वन भूमि और 0.00 हेक्टेयर आवासीय/व्यावसायिक भूमि और शेष 0.4240 हेक्टेयर कोई अन्य भूमि शामिल है। 78 भूखंड, जिनमें से 63 भूखंड निजी थे और 15 सरकारी भूखंड गणना सर्वेक्षण में शामिल थे। गणना सर्वेक्षण से पता चलता है कि 78 भूखंडों में 202 परिवार हैं जो कुल मिलाकर 1414 व्यक्ति हैं (प्रभावित परिवारों के परिवार के सदस्य)।

शमन उपाय

भूमि अधिग्रहण से बचने और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित सड़क की पूरी परियोजना की तैयारी और डिजाइन के अभिन्न अंग के रूप में सचेत प्रयास किए गए हैं। जहां भी अपरिहार्य हो, परियोजना के लिए डिजाइन हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावों को कम करने के प्रयास किए गए हैं। सुधार की योजना उपलब्ध EROW भूमि की चौड़ाई के भीतर प्रस्तावित है। अनुप्रस्थकाट (Cross section) को मौजूदा ROWE भूमि की चौड़ाई के साथ समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सड़क के वास्तविक निर्माण के लिए कॉरिडोर ऑफ इम्पैक्ट (COI) में आवश्यक चौड़ाई, जिसमें कैरिजवे, शोल्डर और तटबंध शामिल हैं, की आवश्यकतानुसार परियोजना डिजाइन के लिए सामाजिक इनपुट यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकार्य डिजाइन में (COI) कम हो और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए मानकों के अनुसार हो।

0.6 सार्वजनिक परामर्श

24 स्थानों पर जन परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें 265 पुरुष और 13 महिलाओं सहित कुल 278 सामुदायिक सदस्यों ने परियोजना गलियारे में सड़क किनारे समुदायों के साथ भाग लिया और प्रस्तावित परियोजना हस्तक्षेपों के बारे में उनके विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए भाग लिया। परामर्शों ने प्रभावों को कम करने, डिजाइन में सुधार और पुनर्वास योजना की तैयारी और इसके कार्यान्वयन के लिए इनपुट प्रदान किए हैं। सुझावों के आधार पर, पुनर्संरेखण और बाईपास सहित डिजाइन संशोधन, पैदल यात्री क्रॉसिंग, चेतावनी संकेत, चिह्नांकन आदि जैसे सड़क सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है।

0.7 कार्यान्वयन व्यवस्था

संस्थागत व्यवस्थाएं तीन स्तरों पर स्थापित की जाएंगी MoRT&H (केंद्र सरकार), राज्य स्तर और उप-परियोजना स्तर साझेदारी मॉडल पर, जिसमें विभिन्न स्तरों पर संबंधित एजेंसियां एक दूसरे के प्रयासों के अनुपूरक और समपूरक हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं के प्रमुख तत्व सहयोग/समर्थन, सहभागिता और स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के साथ जिम्मेदारियों को साझा करना, प्रमुख हितधारकों की भागीदारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच लंबवत और क्षैतिज संबंध हैं।

0.8 शिकायत निवारण तंत्र (GRM)

पुनर्वास नीति ढांचा (RAF) विवादों को प्रभावी तरीके से और PAP के समक्ष पर हल करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र के गठन को अनिवार्य करता है। परियोजना RAP कार्यान्वयन में एक कुशल शिकायत निवारण तंत्र (GRM) की आवश्यकता है जो AP को उनके प्रश्नों और शिकायतों को हल करने में सहायता करेगा। इसलिए, शिकायत निवारण के लिए शिकायत निवारण समिति (GRC) का गठन सबसे महत्वपूर्ण होगा और यह अनुमान है कि यदि सभी नहीं तो अधिकांश, GRC द्वारा निपटाया जाएगा। शिकायत निवारण समिति के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारियों का विवरण **GRM के अध्याय 11** में दिया गया है।

0.9 आरएपी कार्यान्वयन अनुसूची

कॉरिडोर के निर्माण की अवधि 24 महीने है। ऑन-ग्राउंड पुनर्वास और पुनर्वास अभ्यास और सिविल कार्यों के लिए रूकावट मुक्त स्ट्रैच को सौंपने में 5 महीने लगेंगे और बाद में एनजीओ सड़क सुरक्षा, HIV / AIDS रोकथाम अभियान, PAP के लिए पुन: प्रशिक्षण, समग्र निगरानी के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा आदि।

0.10 पुनर्वास बजट

63.42 करोड़ रुपये के पुनर्वास बजट में भूमि और संरचना के लिए मुआवजा (निजी संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति और सामुदायिक संपत्ति), R&R सहायता और अप्रत्याशित लागत को शामिल करने के लिए आकस्मिक व्यय जैसे घटक शामिल हैं।

•••